



भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

राज्य सरकार के वित्त
31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



उत्तर प्रदेश सरकार
प्रतिवेदन संख्या 4 – वर्ष 2016

अनुक्रमणिका

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन	-	v
कार्यकारी सार	-	vii
अध्याय 1 राज्य सरकार के वित्त		
उत्तर प्रदेश राज्य का परिदृश्य	-	1
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	-	1
प्रस्तावना	1.1	2
राज्य के संसाधन	1.2	8
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	10
पूँजीगत प्राप्तियाँ	1.4	18
लोक लेखे (निवल)	1.5	21
संसाधनों के अनुप्रयोग	1.6	22
व्ययों की गुणवत्ता	1.7	27
शासकीय व्ययों एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	31
परिसम्पत्तियाँ एवं देयतायें	1.9	35
ऋण प्रबन्धन	1.10	41
राजकोषीय असन्तुलन	1.11	43
अनुवर्ती कार्यवाही	1.12	47
निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ	1.13	47
अध्याय 2 वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियन्त्रण		
प्रस्तावना	2.1	51
विनियोग लेखे का संक्षिप्त विवरण	2.2	51
वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन	2.3	52
चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	2.4	61
निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ	2.5	72

अध्याय 3 वित्तीय रिपोर्टिंग		
उपभोग प्रमाण—पत्रों को प्रस्तुत न किया जाना	3.1	73
विस्तृत आकस्मिक बिल	3.2	74
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम	3.3	74
लम्बित प्रकरणों की रिपोर्टिंग	3.4	75
राज्य सरकार द्वारा बजट में नये उपशीर्ष व विस्तृत शीर्षों का खोला जाना	3.5	76
लघु लेखा शीर्ष—‘800’ का परिचालन	3.6	76
उपकर का अन्तिम उपयोग	3.7	77
धनराशियों को केन्द्रीय सङ्क निधि में हस्तांतरण न किया जाना	3.8	79
नकद अवशेष में भिन्नता	3.9	80
वैयक्तिक जमा खाते में निधियों का अन्तरण	3.10	80
लेखाओं पर टिप्पणी	3.11	81
निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ	3.12	84

परिशिष्टियाँ		
परिशिष्ट 1.1	राज्य का परिदृश्य	87
परिशिष्ट 1.2	शासकीय लेखे का रूप एवं संरचना तथा वित्त लेखे का प्रारूप	89
परिशिष्ट 1.3	वर्ष 2015–16 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	91
परिशिष्ट 1.4	वर्ष 2015–16 के लिए वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय की बजट अनुमान से तुलना	95
परिशिष्ट 1.5	राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध ऑकड़े	97
परिशिष्ट 1.6	(अ) वर्ष 2011–16 की अवधि में स्वयं का कर राजस्व (ब) वर्ष 2011–16 की अवधि में करेतर राजस्व	100
परिशिष्ट 1.7	31 मार्च 2016 को सरकार की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त सार	101
परिशिष्ट 1.8	आरक्षित निधियों का विवरण	103
परिशिष्ट 2.1	अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जहाँ प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत व्यय ₹ दस करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था	106
परिशिष्ट 2.2	अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जहाँ प्रत्येक अनुदान/विनियोग में बचत ₹ दस करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था	107
परिशिष्ट 2.3	₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचत वाले अनुदानों/विनियोगों का विवरण	109

परिशिष्ट 2.4	प्रकरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	111
परिशिष्ट 2.5	निधियों का अधिक / अनावश्यक / अपर्याप्त पुनर्विनियोग	113
परिशिष्ट 2.6	वर्ष 2015–16 में अत्यधिक धनराशियों का अभ्यर्पण	119
परिशिष्ट 2.7	वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण (₹ 50 लाख या अधिक)	133
परिशिष्ट 2.8	अनुदानों / विनियोगों का विवरण, जिनमें बचत हुई परन्तु उसका कोई भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया	134
परिशिष्ट 2.9	अभ्यर्पित न की गयी ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की बचतों का विवरण	136
परिशिष्ट 2.10	व्यय का अतिरेक	139
परिशिष्ट 3.1	विभागीय वाणिज्यिक एवं अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं का अंतिमीकरण और निवेशों का विवरण	142
परिशिष्ट 3.2	विभागवार / अवधिवार लम्बित प्रकरणों का विवरण (जिनमें अंतिम कार्यवाही मार्च 2016 तक लम्बित थी)	143
परिशिष्ट 3.3	चोरी, दुर्विनियोग, शासकीय सामग्रियों की हानि एवं गबन के कारण राज्य सरकार को हुई क्षति के प्रकरणों का विभागवार / श्रेणीवार विवरण	144
परिशिष्ट 3.4	वर्ष 2015–16 में विभागवार निस्तारित / अपलेखित किए गए प्रकरणों का विवरण	145
परिशिष्ट 3.5	वर्ष 2015–16 के दौरान खोले गये नये शीर्षों की सूची	146
परिशिष्ट 3.6	लघु शीर्ष ‘800–अन्य प्राप्तियाँ’ के अन्तर्गत पुस्तांकित मुख्य शीर्षवार प्राप्तियों का विवरण	150
परिशिष्ट 3.7	लघु शीर्ष ‘800–अन्य व्यय’ के अन्तर्गत पुस्तांकित मुख्य शीर्षवार व्यय का विवरण	151
परिशिष्ट 3.8	उपकर, जो सावधि जमा के रूप में बैंक खातों में रखे गये	152
परिशिष्ट 4	शब्दावली (अतिरिक्त आँकड़े)	
	गणना का आधार	154
	पदों की व्याख्या	155
	प्रथमाक्षरी	157